प्रेस विज्ञप्ति *19.11.2022*

वांछित/वारंटियों अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये गये व्यापक अभियान में कुल 71 वारंटी व 04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कुल 91 एन0बी0डब्लू0 निस्तारित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में दिनांक 18/19.11.2022 को वांछित/वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये गये अभियान में जनपद के समस्त थानों द्वारा कुल 71 वारंटी व 04 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जिसका विवरण निम्नवत है–

थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा 12 वारंटी अभियुक्त, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्त, थाना **दक्षिणटोला** पुलिस द्वारा 05 वारंटी व 02 वांछित अभियुक्त, थाना **घोसी** पुलिस द्वारा 11 वारंटी व 01 वांछित अभियुक्त, थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्त, थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्त, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्त, थाना **चिरैयाकोट** पुलिस द्वारा 07 वारंटी व 01 वांछित अभियुक्त, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा 08 वारंटी अभियुक्त, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा 10 वारंटी अभियुक्त व थाना **रामपुर** पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

इस तरह से कुल कुल 71 वारंटी अभियुक्तों व 04 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ अभियान के दौरान यह पाया गया कि कुल 11 वारंटियों द्वारा रिकाल करा लिया गया है एवं 09 लोगों की मृत्यु हो जाने की बात प्रकाश में आयी। इस तरह से कुल 91 एन0बी0डब्लू0 का निस्तारण किया गया।

मानिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत 03 अभियुक्त आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से हुये दंडित–

मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत आज दिनांक 19.11.2022 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद मऊ द्वारा थाना कोपागंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 676/07 धारा 147,323,304,504 भादवि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्तगणों क्रमशः मुकेश पुत्र हरी मल्लाह, करन व चन्द्रजीत पुत्रगण बल्ली मल्लाह निवासीगण कोड़रा थाना कोपागंज जनपद मऊ को धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास व 10–10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।